- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

# खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोरेशन के संचालक मण्डल में

संचालक के पद पर श्री श्रीकांत बनोठ, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल को मनोनीत करता है.

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश 21 सिम्तबर 2016 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सिचव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल को कापोरेशन के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के स्थान पर श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल को मनोनीत करता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

## राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-4-2017-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए:—

अनुसूची तहसील : सेलाना क्रमांक पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम

(1) (2)

1

मूल ग्राम भोजपुरा
 नवीन ग्राम धाविडया,
 प.ह.नं. 26.

जिला रतलाम अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम

(3)

अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), जिला-रतलाम. (2)

(1)

मुल ग्राम शिवगढ नवीन ग्राम सोहनगढ प.ह.नं. 43. जिला रतलाम तहसील : रतलाम पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत क्रमांक. अधिकारी का पदनाम (1) (2) (3) अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित), नवीन ग्राम मुल ग्राम सरवड 1 जिला-रतलाम. प.**ह.नं**. 56. सरवड 1. प.ह.नं. 56. गुलरीपाडा 2. प.ह.नं. 56. कृण्डाल प.ह.नं. 56. इमलीपाडा प.ह.नं. 56. बड्लीपाड़ा 5. प.ह.नं. 56. पानखेडा प.ह.नं. 56.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

(3)

### भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. एफ-15-4-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-4-2017-सात-शा.-6, दिनांक 26 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे, उपसचिव.

### Bhopal, the 26th August 2017

No. F-15-04-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

#### **SCHEDULE**

#### Tahsil: Sailana

Serial No.

District: Ratlam

(1) (2

Name of village (s) with P.C. No.

Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(3)

01 1. Original Village Bhojpoora2. New Village DhavadiyaP. C. No. 26.

Superintendent of Land Records, (regular), District-Ratlam.

- 02 1. Original Village Shivgarh2. New Village Sohangarh
  - New Village Sohangarh P. C. No. 43

Tahsil: Ratlam				District: Ratlam
Serial No.	Name of Villag		. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)		(2)		(3)
Origir	al Village		New Village	
01 Sanwa P. C.	ad No. 56	1. 2. 3. 4. 5.	Sanwad P. C. No. 56. Gulripada P.C. No. 56. Kundal P.C. No. 56. Imlipada P.C. No. 56. Badlipada P.C. No. 56. Pankheda	Superintendent of Land Records, (regular) District-Ratlam.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, BHARTI OGREY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2017

P.C. No. 56.

क्र. एफ 4-2-2016-सात-एक.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक ई-1-284-2017-5-एक, दिनांक 22 अगस्त 2017 द्वारा श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का स्थानान्तरण संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) भोपाल में होने से उन्हें आज दिनांक 23 अगस्त 2017 को दोपहर पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. अहिरवार, अवर सचिव.

# पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्र.-2396-2017-18-5.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 की विज्ञप्ति क्रमांक 3816 दिनांक 8 दिसम्बर 1975, यथासंशोधित दिनांक 15 अप्रैल 2013 में निम्नांकित संशोधन करता है :—

उपयुक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों के स्थान पर निम्न उपाबन्ध प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

#### उपाबन्ध

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 के नियम 7 के उपनियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन :—

क्र.	शक्तियों की विशिष्टियाँ	सदस्य सचिव की शक्तियाँ	अध्यक्ष की शक्तियाँ	बोर्ड की शक्तियाँ
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	समस्त यात्राओं हेतु अनुमित, यात्रा देयकों तथा चिकित्सा देयकों पर स्वीकृति प्रदान करना.	बोर्ड के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों- कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	<ol> <li>अपने स्वयं, सदस्य सिचव एवं बोर्ड के अशासकीय सदस्यों हेतु.</li> <li>समस्त अधिकारियों कर्मचारियों हेतु विदेश यात्रा.</li> </ol>	कुछ नहीं.